कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :– 05966-220035 फैक्स :– 05966-220035 ई–मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 3579/18सी. दिनांक, रानीखेत, 1-11-2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा
वन प्रभाग अल्मोड़ा

विषय :– **बरेरा बैण्ड से कूना मन्यारी मोटर मार्ग का धौलाढ़गूड़ तिपोला तक विस्तार के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में आपको अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण की हार्ड कॉपी इस कार्यालय के पत्रांक 1447/18 सी0 दिनांक 24.5.19 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्द्रनगर फारेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की गयी थी। अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 548/(1)X-4-19/1(178)/ 2018 दिनांक 25.7.19 द्वारा हार्ड कॉपी अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय–25 सुभाष रोड उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी गयी थी। सुलभ संदर्भ हेतु पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– पत्रानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

Lata. -Ameen

4219
18 NTO
5-8-19

संख्या: —— / X-4—19 / 1(178) / 2018

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4

देहरादूनः दिनांक 25 जुलाई, 2019

विषयः—जनपद अल्मोड़ा में बसेरा से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूंठ—तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा ऑन लाईन आई0डी0सं0—FP/UK/ROAD/15092/2015, के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत (सब्मिट) किया जा चुका है, की हार्ड प्रति, राज्य सरकार की संस्तुति संबंधी प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के तहत भारत सरकार की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्याः 548 (1) / X-4—19 / 1(178) / 2018, तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या—3272/1जी—FP/UK/ROAD/15092/2015, दिनांक 03 जून, 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

पत्र भूमि ... 5/8/19

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

पत्रांक 98

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 1447/18सी. दिनांक, रानीखेत, 24/5/,2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्द्रानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाडगूठ तिपोला तक विस्तार के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों की हार्ड कॉपी प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सद्रंर्भ :- आपका पत्रांक 2964/FP/UK/ROAD/15092/2015 दिनांक 3.5.19

महोदय,

उपरोक्त विषयक संद्रर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्गो के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी मूल में संलग्न कर भारत सरकार कार्यालय हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्गो के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें। भविष्य हेतु उक्त मोटर मार्गो के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के मूल अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

संलग्न :- –प्रस्ताव 1नं0।

भवदीय,
24/5/19
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत
24/5/19

Lata. -Ameen